

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-३१-२०१/२०२४/५२३५/जे०, पटना, दिनांक-०६.०७.२६
सेवा में,

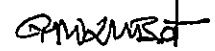
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित १० कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०-३४,३३,२६,०००/- (चौतीस करोड़ तैतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित १० कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०-३४,३३,२६,०००/- (चौतीस करोड़ तैतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र के प्राक्कलन में मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें ६०% केन्द्रांश तथा ४०% राज्यांश का प्रावधान है।
- केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का विकलन ६०:४० में मुख्य शीर्ष-४०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-०५१-उप शीर्ष-०२२०-ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा का विकास में स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड-०३-४०५९८००५१०२२० है।
- राशि की निकासी केन्द्र प्रायोजित योजना Infrastructure Facilities for Judiciary (९१७४) के लिए SNA SPARSH के तहत RBI, Patna में खोले गये आहरण खाता संख्या-०१५८५५०११४५ (IFSC कोड-RBIS0CSSP01) के माध्यम से की जायेगी।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, सिवान से की जायेगी।
- प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
(२४/टि०, दिनांक-०८.०६.२०२६ सं०सं०-जी०/यो०-३१-२०१/२०२४)
- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
(२८/टि०, दिनांक-२४.०६.२०२६ सं०सं०-जी०/यो०-३१-२०१/२०२४)
- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(३०/टि०, दिनांक-०२.०७.२०२६ सं०सं०-जी०/यो०-३१-२०१/२०२४)
- स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

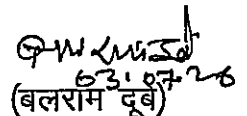


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-३१-२०१/२०२४/५२३५/जे०, पटना, दिनांक-०६.०७.२६

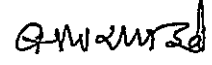
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०-जी०/यो०-31-38/2024/5235/जे०, पटना, दिनांक 06.7.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.06.2026 में मद संख्या-22 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

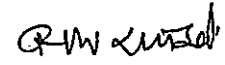


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-201/2024/5235/जे०, पटना, दिनांक 06.7.26

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-201/2024/5235/जे०, पटना, दिनांक 06.7.26

प्रतिलिपि:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान को प्राक्कलन की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।

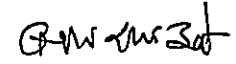


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-201/2024/5235/जे०, पटना, दिनांक 06.7.26

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-201/2024/5235/जे०, पटना, दिनांक 06.7.26

प्रतिलिपि:- आईटी मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

अपर
30.7.26